रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2531] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2017/भाद्र 10, 1939
No. 2531] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2017/BHADRA 10, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं. 26/2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2 में संशोधन।

का.आ. 2890(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी(एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2 में निम्नानुसार संशोधन करती है:–

मौजूदा नीतिगत शर्त सं. 2	संशोधित नीतिगत शर्त सं. 02
निम्नलिखित दो प्रकार के प्रमाणपत्रों के साथ खिलौनों (एक्जिम कोड 95030010, 95030020, 95030030 और 95030090 के तहत सभी मदें) का आयात मुक्त रूप से अनुमत होगा: (1) एक प्रमाणपत्र कि निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुकूल ही खिलौनों का आयात किया जा रहा है (क) एएसटीएम एफ 963 अथवा (ख) आईएसओ 8124 [भाग I–III] अथवा (ग) आईएस 9873 [भाग– I–III] अथवा (घ) ईएन 71 और	निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ खिलौनों (एक्जिम कोड 95030010, 95030020, 95030030 और 95030090 के तहत सभी मदें) का आयात मुक्त रूप से अनुमत होगा: (1) एक प्रमाण पत्र कि खिलौनों का आयात भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुकूल किया जा रहा है:– (क) आईएसः 9873 (भाग–1) खिलौनों की सुरक्षा भाग–1 यांत्रिक और भौतिक विशेषताओं से संबंधित सुरक्षा पहलू (तीसरा संशोधन) (ख) आईएसः 9873 (भाग 2) खिलौनों की सुरक्षाः भाग 2 ज्वलनशीलता (तीसरा संशोधन) (ग) आईएसः 9873 (भाग 3) खिलौनों की सुरक्षा भाग–3 कुछ तत्वों का प्रव्रजन (दूसरा संशोधन)

(ii) विनिर्माता से अनुकूलता का प्रमाणपत्र कि खिलौनों के द्योतक नमूने जो आयात किए गए जा रहे हैं उनका एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा जाँच किया गया हो जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणन सहयोग (आईएलएसी), परस्पर मान्यता व्यवस्था (एमआरए) के तहत मान्यता प्राप्त है और ऊपर (1) पर दर्शाई गई विशिष्टताओं को पूरा करता है। (आईएलसीएमआरए के बारे में और जानने के लिए वेबसाइटः http://www.ilac.org/देखें) अनुकूलता के प्रमाणपत्र में दर्शाए गए, विनिर्माता की अवधि के साथ खेप में खिलौनों को भी प्रमाणपत्र लिंक करेगा।	(घ) आईएसः 9873 (भाग 4) खिलौनों की सुरक्षा भाग–4 इनडोर और आउटडोर हेतु घरों में परिवार में प्रयोग किए जाने वाले झूले, स्लाइडस और इसी तरह के कार्यकलापो के खिलौने (ड) आईएसः 9873 (भाग–7) खिलौनों की सुरक्षा भाग–7 फिंगर पेंटस हेतु आवश्यकताएं और परीक्षण के तरीके (च) आईएसः 9873 (भाग–9) खिलौनों की सुरक्षा; भाग–9 खिलौनों और बच्चों के उत्पादों में फथालेटस एस्टर की कुछ मात्रा। (छ) आईएसः–15644–इलेक्ट्रिक खिलौनों की सुरक्षा (ii) एक प्रमाण पत्र कि खिलौनों का आयात आईएस–9873 भाग–1, भाग–2, भाग–3, भाग–4, भाग–7, भाग–9 और 15644: 2006 में निर्धारित मानकों के अनुकूल किया जा रहा है। (iii) विनिर्माता से प्राप्त अनुकूलता प्रमाण पत्र कि खिलौनों के द्योतक नमूने जो आयात किए जा रहे हैं, उनकी एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा जाँच की गई है जो एनएबीएल, भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा ऊपर दर्शाए गए विनिर्देशनों को पूरा करते हैं। अनूकूलता प्रमाण पत्र में दर्शाए गए विनिर्माण की अवधि के साथ खेप में खिलौनों को भी प्रमाण पत्र लिंक करेगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः– आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2 को संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/53/एएम–01/पीसी–2(ए)/खंड–III]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2017

No. 26/2015-2020

Subject: Amendment in Policy condition No. 2 to Chapter 95 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 2890(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition No.2 to Chapter 95 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy), as under:

Existing Policy Condition No. 2	Revised Policy Condition No. 2
Import of Toys (all items under EXIM Codes 95030010, 95030020, 95030030 and 95030090) shall be permitted freely when accompanied by the following two types of certificates: (i) A certificate that the toys being imported conform to the standards prescribed in (a) ASTM F963 or	Import of Toys (all items under EXIM Codes 95030010, 95030020, 95030030 and 95030090) shall be permitted freely when accompanied by the following certificates: (i) A certificate that the toys being imported conform to the standards prescribed by Bureau of Indian Standards (BIS): a) IS: 9873 (Part 1) – Safety of toys; Part – 1 Safety aspects related to mechanical and physical properties (Third Revision). b) IS:9873 (Part 2) – Safety of Toys; Part – 2 Flammability (Third

(b) ISO 8124 (Parts I-III) or (c) IS 9873 [Parts I -III] or (d) EN 71; and (ii) A Certificate of Conformance from the manufacturer that representative sample of the toys being imported have been tested by an independent laboratory which is accredited under International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) and found to meet the specifications indicated in (i) above (to know more on ILAC MRA visit the website: http://www.ilac.org/). The certificate would also link the toys in the consignment to the period of manufacture indicated in the Certificate of Conformity.	Revision) c) IS : 9873 (Part 3) – Safety of Toys; Part – 3 Migration of certain elements (Second Revision) d) IS: 9873 (Part 4) Safety of Toys; Part – 4 Swings, Slides and similar activities Toys for indoor and outdoor family domestic use. e) IS: 9873 (Part 7) – Safety of Toys; Part – 7 Requirements and test methods for finger paints. f) IS: 9873 (Part 9) – Safety of Toys; Part – 9 Certain phthalates esters in toys and Children's products. g) IS: 15644 – Safety of Electric Toys. (ii) A Certificate that the toys being imported conform to the standards prescribed in IS: 9873 Part – 1, Part – 2, Part – 3, Part – 4, Part – 7, Part – 9 and 15644:2006. (iii) A Certificate of Conformance from the manufacturer that representative sample of the toys being imported have been tested by an independent laboratory which is accredited by NABL, India and found to meet the specifications indicated above. The Certificate would also link the toys in the consignment to the period of manufacture indicated in the Certificate of Conformity.

2. **Effect of this Notification**: Policy condition No. 2 to chapter 95 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) revised.

[F. No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2 (A)/Vol. III]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.04 23:03:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.